

न्यायालय :- संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

दा0प्र0क0 - 31/06
संस्थित दि0 - 01.02.2006

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

----- अभियोजन

वि रू द्ध

- 1-संजमसिंह पुत्र होरलसिंह यादव, आयु-60 वर्ष,
- 2-राजपाल सिंह पुत्र संजमसिंह यादव, आयु-28 वर्ष,
- 3-रामराज पुत्र संजमसिंह यादव, आयु-35 वर्ष,
- 4-शिशुपालसिंह पुत्र संजमसिंह, आयु-30 वर्ष,
समस्त निवासीगण-ग्राम चुरारी, थाना-चन्देरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0।

----- अभियुक्तगण

-:: नि र्ण य ::-
(आज दिनांक 18.12.2014 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 324/34 के तहत आरोप है कि, उन्होंने दिनांक 19.08.2005 को समय 23:00 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी बलराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं।
3. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, करीब 11 बजे की बात है कि, फरियादी बलराम का चाचा संजम सिंह फरियादी से जमीन के पैसे मांगने आया और बोला कि, या तो रुपया दो या 5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा तब फरियादी ने कहा कि, वह अपने हिस्से की रजिस्ट्री क्यों कराये तो संजम सिंह, राजपाल, शिशुपाल और राजाराम आये और गाली देने लगे, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो चारों ने फरियादी की लाठी, लुहांगी से मारपीट की, झूमा-झपटी की जिससे उसके रुपये व फोटो गिर गये। मौके पर रतीभान व बेबी थी तब प्रार्थी ने उक्त घटना की

रिपोर्ट थाने में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराया जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 254/05 पर धारा 324/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया। उनका अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षण करने पर आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये झूठा फंसा देने का कथन किया साथ ही कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.08.2005 को समय 23:00 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी बलराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से पक्ष समर्थन में साक्षी बलराम (अ.सा-1), रतीभान (अ.सा-2), बेबी बाई (अ.सा-3), डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ (अ.सा-4), शिवमंगल सिंह (अ.सा-5), बैजनाथ सिंह (अ.सा-6) के कथन अंकित करवाये हैं।

7. प्रकरण में फरियादी बलराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, मारपीट से उसकी हाथ के पंजे में चोट आई थी, उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ था। इसी प्रकार साक्षी रतिभान (अ.सा.-2) ने भी अपने कथन में बताया है कि, मारपीट से बलराम के हाथ और पीठ में चोट आई थी।

8. चिकित्सक साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ (अ.सा.-4) ने अपने कथन में बताया है कि, दिनांक 20.07.2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदेरी में मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत **बलराम** का चिकित्सा परीक्षण करने पर निम्नलिखित चोटें थीं:-

1. बांये हाथ की अनामिका उंगली में कटा हुआ घाव जिसका आकार 1.5x0.5xहड्डी की गहराई तक।
2. दाहिने हाथ की नोलसन भाग पर छिला हुआ घाव जिसका

- आकार 5x5 से.मी. था।
3. दाहिने बखा पर छिला हुआ घाव का निशान जिसका आकार 12x6 से.मी. था।
 4. दोड़ी के दाहिने ओर एक छिला हुआ निशान जिसका आकार 3 से.मी.xरेखाकार।
 5. दाहिने पैर के उपरी भाग पर छिला हुआ निशान जिसका आकार 5 से.मी.xरेखाकार।
9. चिकित्सक के अनुसार आहत बलराम को आई हुई चोटों पर सूजन, दर्द, घाव पर खून के थक्के लाल रंग के जमे हुए थे जिसमें चोट क्रमांक 1 धारदार वस्तु से तथा शेष समस्त चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु से परीक्षण से 24 घंटे के अंदर की थी। उसकी चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. प्रकरण में आहत बलराम (अ.सा.-1), रतिभान (अ.सा.-2) ने अपने कथन में बताया है कि, आहत बलराम के साथ मारपीट हुई थी जिससे आहत के हाथ के पंजे और पीठ में चोट आई थी जिसका समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ (अ.सा.-4) के द्वारा भी किया गया है, इस प्रकार चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य एम.एल.सी. रिपोर्ट से अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, घटना दिनांक को आहत को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित हुई।
11. प्रकरण में यह देखा जाना है कि, क्या उक्त घटना आरोपीगण के द्वारा कारित की गई है ? उक्त संबंध में साक्षी बलराम (अ.सा.-1) का कहना है कि, घटना वर्ष 2005 की है। घटना के पूर्व आरोपीगण उसका अपहरण करके ले गये थे और आरोपी राजपाल ने उसके हाथ के पंजे में तलवार से तथा आरोपी शिशुपाल ने लोहांगी से, आरोपी रामराजा ने घूसें से तथा आरोपी संजय सिंह ने लाठी से उसके साथ मारपीट की थी तब उसने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
12. साक्षी रतिभान (अ.सा.-2) ने भी अपने कथन में बताया है कि, घटना लगभग 4-5 वर्ष पूर्व रात 2:00 बजे की है। आरोपीगण उसके भाई बलराम के साथ मारपीट किये थे, जब बलराम चिल्ला रहा था तब उसने उठकर देखा था कि, चारों आरोपीगण तलवार, लोहांगी से मारपीट कर रहे थे।
13. साक्षी बेबी बाई (अ.सा.-3) ने अभियोजन एवं घटना का

कोई समर्थन नहीं किया। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन एवं घटना का कोई समर्थन नहीं किया है।

14. साक्षी शिवमंगल सिंह (अ.सा.-5) का कहना है कि, दिनांक 20.08.2005 को थाना चन्देरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी बलराम की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अदम चैक क्रमांक 684/05 प्र0पी0-1 लेखबद्ध की थी तथा आहत का मेडिकल फॉर्म प्र0पी0-3 भरकर चिकित्सा हेतु भेजा था। उसके द्वारा अपराध क्रमांक 254/05 की कायमी प्र0पी0-4 की थी, उक्त सभी दस्तावेजों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया था।

15. प्रकरण के विवेचक साक्षी बैजनाथ सिंह (अ.सा.-6) ने अपने विवेचना संबंधी औपचारिक कथन करते हुये बताया है कि, वह दिनांक 20.09.2005 को थाना चंदेरी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 254/05 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था तथा प्रार्थी की निशानदेही पर घटना स्थल पर मौका नक्शा प्र0पी0-2 तैयार किया था तथा फरार आरोपीगण का फरारी पंचनामा प्र0पी0-5 एवं प्र0पी0-6 के अनुसार तैयार किया था, उक्त सभी दस्तावेजों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है।

16. परीक्षित साक्षियों का विस्तार से प्रतिपरीक्षण करने के उपरांत प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किये हैं कि, प्रकरण में सभी साक्षियों ने भिन्न-भिन्न कथन किए हैं तथा प्रार्थी द्वारा रंजिशन उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष का यह कहना है कि, अभियोजन के द्वारा हितबद्ध साक्षियों को पेश किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन एवं घटना का कोई समर्थन नहीं किया है।

17. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि, हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य को मात्र हित रखना अथवा संबंधी होने के आधार पर पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, परंतु ऐसे साक्ष्य की विवेचना अत्यधिक सतर्कता पूर्वक कर विश्वास किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत - स्वर्णसिंह विरुद्ध स्टेट आफ पंजाब(1976) 4 एस.सी.सी.-369 अवलोकनीय है।

18. जहां तक आरोपीगण ने अपने तर्क में यह बताया है कि, आहत हरिसिंह के द्वारा अपने पुलिस कथन से भिन्न कथन किया गया है। तथा प्रकरण में अन्य स्वतंत्र साक्षी को उपस्थित नहीं किया गया है, किन्तु

उक्त संबंध में विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि, किसी मामले में गवाहों की संख्या नहीं बल्कि प्रस्तुत किये गये साक्षियों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। उक्त प्रकरण वर्ष 2006 का है और इतने लंबे अंतराल के पश्चात् साक्षी अक्षरशः वैसा ही कथन करे संभव नहीं है। प्रकरण में आहत के कथनों का समर्थन चिकित्सक साक्षी ने किया है।

19. प्रकरण में प्रार्थी की साक्ष्य के अवलोकन से जहां आरोपीगण के द्वारा बलराम के साथ मारपीट किये जाने के बिन्दु पर कोई तात्त्विक विरोधाभास प्रार्थी के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में नहीं है, इस प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी के साथ धारदार हथियार से मारपीट की गयी है तथा रिपोर्ट किये जाने में भी अनावश्यक विलंब होना भी दर्शित नहीं होता है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थी को दिये गये सुझावों से भी घटना के समय घटना स्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति प्रमाणित होती है।

20. जहां तक बचाव पक्ष की ओर से चिकित्सक साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि, आहत बलराम को आई हुई चोट क्रं. 2 लगायत 5 सामने से गिरने से आ सकती है तथा चोट क्रं. 1 स्वयं कारित की जा सकती है। किन्तु प्रकरण में ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं थी, कि फरियादी स्वयं को चोट कारित करें और न ही प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित थी कि आहत सामने से गिर जाये। इसके अतिरिक्त साक्षियों के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि, आरोपीगण के द्वारा किसी धारदार हथियार से मारपीट नहीं की गई है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह तथ्य प्रमाणित है कि, आहत को स्वेच्छया उपहति कारित हुई थी। न्याय दृष्टांत नीरज विरूद्ध म.प्र.राज्य 2002(1) एम.पी.वी.नो 98 में अभिनिर्धारित किया गया है कि आहत साक्षी सर्वोत्तम साक्षी है। जहां उसकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण रूपेण समर्थित है, वहां पर उसकी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण के द्वारा धारदार अस्त्र एवं घूसों से आहत बलराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है।

21. फलतः आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 324/34 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है, दंड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुनने के लिये निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

-:: दंडादेश ::-

पुनश्च :-

22. दंड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया, उनका कहना है कि, आरोपीगण का प्रथम अपराध है, अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे एवं उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जावे। अभियोजन ने व्यक्त किया कि, आरोपीगण के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित की गयी है, अतः उन्हें कठोर दंड से दंडित किया जावे। यद्यपि अभिलेख के अवलोकन से आरोपीगण का प्रथम अपराध होना दर्शित होता है, परंतु प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं प्रमाणित चोटों को देखते हुए, आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, किंतु आहत की साधारण प्रकृति की चोटों को देखते हुए, आरोपीगण को कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, उक्त प्रकरण लगभग 08 वर्षों से लंबित है। इसीलिये न्याय उद्देश्य की पूर्ति आरोपीगण को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित कर की जा सकती है।

23. फलतः आरोपीगण ने आहत बलराम के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 324/34 के अपराध में प्रत्येक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500/-रु. (पांच-पांच सौ) कुल 2,000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है, एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक-एक माह के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। अपील अवधि पश्चात आहत बलराम को 1000/-रु. नियमानुसार दिलाया जावे तथा धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

24. प्रकरण में जप्तशुदा कुछ नहीं है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे बोलने पर टंकित”।

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

